

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश,
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक,
पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ, दिनांक : 14 मई, 2020

विषय-कोविड-19 रोगियों को डिस्चार्ज किये जाने हेतु डिस्चार्ज पॉलिसी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में भर्ती कोविड 19 रोग के रोगियों को डिस्चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-

1. लक्षण विहीन, प्रारम्भिक लक्षण वाले अथवा हल्के/कम तीव्रता के (Mild) लक्षण वाले रोगियों हेतु डिस्चार्ज पालिसी:-

इन श्रेणियों में इस प्रकार के मरीज रखे जायेंगे जिनमें या तो कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं हुए हैं अथवा बहुत हल्के लक्षण प्रदर्शित हुए हैं यथा हल्की खाँसी, बुखार, गले में दर्द, गले में खराश इत्यादि हो।

इन मरीजों का फॉलो-अप सैंपल प्रथम सैंपल (डायग्नोस्टिक सैंपल) लिए जाने के बारहवें दिन एकत्र किया जाएगा। फॉलो-अप सैंपल के ऋणात्मक आने की स्थिति में इन मरीजों को 07 दिन घर पर होम आइसोलेशन की सलाह के साथ डिस्चार्ज किया जाएगा।

2. मध्यम तीव्रता वाले लक्षणों (Moderate) तथा गंभीर रोगियों (Severe) हेतु डिस्चार्ज पालिसी:-

मध्यम तीव्रता (Moderate) श्रेणी में वे मरीज आएंगे जिनमें लोअर रेस्पिरेट्री ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण प्रदर्शित हुए हों, यथा खाँसी बुखार इत्यादि के साथ साँस लेने में परेशानी, नेजल फ्लेयरिंग, पसली चलना, तीव्र श्वास दर आदि।

गम्भीर रोगी की श्रेणी में वे मरीज आयेंगे जिन्हें ऑक्सीजन दिए जाने पर भी ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें वेंटीलेटर की आवश्यकता है अथवा जो इम्यूनो कम्प्रोमाईज्ड (कैंसर अथवा एच आई वी रोगी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाए हुए व्यक्ति) हैं। उपरोक्त दोनों श्रेणियों के रोगियों के तापमान तथा ऑक्सीजन सेचुरेशन की स्थिति की निरंतर निगरानी की

जाएगी। उपरोक्त दोनों श्रेणियों के रोगियों का फॉलो अप रोगी के लक्षण विहीन होने के तीन दिवस उपरान्त/अथवा प्रथम सैंपल (डायग्नोस्टिक सैंपल) लिए जाने के 12 दिन उपरान्त (दोनों में से जो तिथि बाद में आती हो) लिया जाएगा। फॉलो-अप सैंपल ऋणात्मक आने की स्थिति में रोगी को 07 दिन घर पर होम आइसोलेशन की सलाह के साथ डिस्चार्ज किया जाएगा।


सभी श्रेणियों के रोगियों को डिस्चार्ज किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:-

- (1) रोगी में किसी प्रकार के लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं।
- (2) डिस्चार्ज किये जाने से पूर्व तीन दिवसों तक रोगी निरंतर ज्वर विहीन है।
- (3) रोगियों का ऑक्सीजन सैचुरेशन बिना किसी सपोर्ट के 94% से ऊपर है।
- (4) डिस्चार्ज किये जाने से पूर्व उनका सैम्पल ऋणात्मक होना आवश्यक है।

3. आवश्यक अन्य निर्देश-

- (1) सभी प्रकार के मरीजों को डिस्चार्ज किए जाते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उनके द्वारा कोविड फैसिलिटी में भर्ती रहने की अवधि के दौरान पहने गए वस्त्रों को भली-भाँति विसंक्रमित कर दिया गया है। डिस्चार्ज किए जाते समय मरीजों के मोबाइल फोन, जूते-चप्पल तथा अन्य सभी सामग्री का विसंक्रमण अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर अथवा हाइड्रोजन परॉक्साइड द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- (2) मरीजों को यह निर्देश भी अच्छी प्रकार से समझा दिया जाए कि वह घर पर जाने के उपरान्त पहने गए कपड़ों को गर्म पानी में डिटर्जेंट के साथ अच्छी तरह धुलवाने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग करेंगे।
- (3) डिस्चार्ज किए जाते समय सभी मरीजों से होम आइसोलेशन के दिशा निर्देशों सहित अन्य सभी आवश्यक निर्देशों का अनुपालन करने के सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर कराये जाएंगे। सभी डिस्चार्ज किये जाने वाले रोगियों को सहमति-पत्र के प्राविधानों से विस्तार से समझाया जाएगा तथा यह बताया जाएगा कि किस प्रकार होम आइसोलेशन के नियमों का पालन करने पर वे अपने परिवार तथा समाज में इस बीमारी के प्रसार को रोकने में मदद कर पाएंगे।
- (4) सभी प्रकार के मरीजों को डिस्चार्ज किये जाते समय यह निर्देशित किया जाए कि उन्हें पुनः आर0टी0पी0सी0आर0 परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- (5) मरीजों को निर्देशित किया जाए कि डिस्चार्ज के बाद पुनः लक्षण प्रकट होने पर कोविड केयर सेन्टर/हेल्प लाइन नम्बर पर अविलम्ब सूचित करें।
- (6) डिस्चार्ज होने के 14 दिन बाद पुनः लक्षण प्रकट होने पर व्यक्ति को नये रोगी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

कृपया तदनुसार प्रत्येक स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
14-5-2020
प्रमुख सचिव

संख्या-1094(1)/पांच-5/2020, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश,
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश,
3. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश,
7. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश,
8. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश,
9. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश,
10. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ,
11. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश,
12. गार्ड फाईल।

2000/2
14.05.2020

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
14/05/2020
अनु सचिव